

भारत सरकार
कार्यालय : आयकर आयुक्त- 1, पटना

आदेश

दिनांक: 05-08-2008

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80छ (80G) के अधीन आदेश

संस्था का नाम एवं पता:-

सृष्टि फाउण्डेशन

8th फ्लोर, रश्मि बिल्डिंग
फिदवईपुरा, पटना

उपरोक्त संस्था को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में कर मुक्त होगा बशर्ते उसकी रकम प्रावधान में निहित सीमा में हो और निम्नलिखित शर्तों का पालन किया गया हो।

1. दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और तारीख व करमुक्ति कब तक देय है, स्पष्ट लिखा हो।
2. आय एवं व्यय के हिसाब का वार्षिक विवरण सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाये।
3. यह कर मुक्ति दिनांक 14-01-08 से 31-03-2010 तक देय है।

(इकीय प्रार्थन के द्वारा दस)

आयकर आयुक्त- 1, पटना

फा0 सं0 आ0300-1/पटना/क/80G/08-09/1175-80 दिनांक 05-08-2008

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्रीमान् सचिव/अध्यक्ष, सृष्टि फाउण्डेशन, फिदवईपुरा को संस्था के द्वारा आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80छ (80G) के अधीन मान्यता-नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रस्तुत किया गया था। अतः संस्था को कर मुक्ति की मान्यता दिनांक 14-01-08 से 31-03-2010 तक प्रदान की जाती है।

यदि इस कर मुक्ति का नवीनीकरण आगे करवाना हो तो सम्बन्धित आयकर अधिकारी के माध्यम से कर मुक्ति की अवधि समाप्त होने के तीन माह के अंदर निर्धारित प्रपत्र में भेजे। आवेदन पत्र के

साथ पिछले तीन वर्षों के आय व्यय के हिसाब की नकलें, नियम व नियमों में यदि कोई परिवर्तन किये गये हो तो उसकी सूचना आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) (सी) के अन्तर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा आयकर नियम के नियम 11ए का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

2. सहायक/उप आयकर आयुक्त, पटना उपरोक्त संस्था के आय एवं व्यय के वार्षिक लेखों की जांच करें जो कि बोर्ड के आदेश संख्या 3/फा0सं080/2/59/आई0टी0ए0 दिनांक 09.10.1972 एवं आदेश संख्या 63/फा0सं0367/175/47/70/ आई0टी0ए0 दिनांक 09.10.1972 के अनुसार सालाना प्रस्तुत करेंगे । नवीनीकरण का आवेदन पत्र यदि प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अपनी टिपपणी सहित अपने परिक्षेत्र के अपर आयकर/संयुक्त आयकर आयुक्त के माध्यम से प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर इस कार्यालय को भेज दें ।

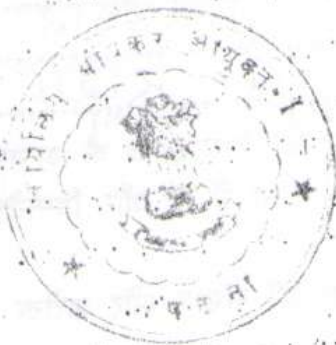
3. संयुक्त/अपर आयकर आयुक्त, पटना

4. मुख्य आयकर आयुक्त, पटना

बी. ख. सिंह
(.....)

आयकर अधिकारी (मु0/तक0)

कृते : आयकर आयुक्त- 1, पटना



आ.क. ऑफिस